

बिहार सरकार  
योजना एवं विकास विभाग  
(अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय)

पत्रांक-स्था02/02-05/2017 13

पटना, दिनांक-12.07/17

प्रेषक,

पूनम(भा०प्र०से०)  
निदेशक।

सेवा में,

उप निदेशक (आहरण एवं व्ययन), अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय, बिहार, पटना।

**विषय:-** मुख्यशीर्ष-3454 के राज्य स्कीम उपशीर्ष-0120-भारत सांख्यिकी सुदृढीकरण परियोजना शीर्ष के विषय शीर्ष 0120.31.06 सहायक अनुदान-गैर वेतन मद से वित्तीय वर्ष 2017-18 में ₹10,00,000/- (दस लाख रुपये) का आबंटन।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि वित्त विभाग ने अपने पत्रांक-428/वि० दिनांक-31.03.17 के द्वारा सूचित किया है कि बिहार विधान मंडल से पारित वित्तीय वर्ष 2017-18 के लिए बिहार विनियोग (संख्या 2) विधेयक, 2017 पर महामहिम राज्यपाल द्वारा 31.03.2017 को स्वीकृति प्रदान की जा चुकी है।

- उक्त पत्र के कंडिका 3 के द्वारा वित्तीय वर्ष 2017-18 के लिए प्रावधानित राशि की सीमा तक व्यय किया जा सकता है।
- तदनुसार निदेशालय के स्वीकृत्यादेश संख्या-1413 दिनांक 10.07.2017 के आलोक में वित्तीय वर्ष 2017-18 में संलग्न विवरणी के अनुसार व्यय करने के लिए राशि आवंटित की जाती है।
- संलग्न विवरणी मुख्य शीर्ष-3454 जनगणना, सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी, उप मुख्य शीर्ष 02-सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी, लघु शीर्ष 204-केन्द्रीय सांख्यिकी संगठन, समूह शीर्ष-राज्य योजना, उप शीर्ष-0120-भारत सांख्यिकी सुदृढीकरण परियोजना शीर्ष के विषय शीर्ष 0120.31.06 सहायक अनुदान-गैर वेतन मद के अन्तर्गत आवंटित की जा रही है, जिसका मांग सं०-35 एवं विपत्र कोड-35-3454022040120 है।
- संलग्न विवरणी के लिए निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, उप निदेशक (आहरण एवं व्ययन), अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय, बिहार, पटना होंगे जो स्वीकृत्यादेश-1413 दिनांक 10.07.2017 की कंडिका 5 के निदेशानुसार सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन पटना से राशि की निकासी करते हुए राशि बिहार सांख्यिकी तंत्र विकास अभिकरण, पटना के विश्वेश्वरैया भवन, स्थित कोषागार के पी०एल०खाता संख्या-284 में जमा करना सुनिश्चित करेंगे।
- राशि की निकासी के लिए संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा संबंधित आवंटन आदेश की संख्या तथा तिथि का उल्लेख करना होगा, जिसके आधार पर विपत्र पर निहित राशि की निकासी की जा रही है। साथ ही इस आशय का प्रमाण पत्र विपत्र पर अंकित करना होगा कि विपत्र में निहित राशि बजट उपबंध तथा आवंटित राशि के अधीन है और राशि की निकासी के लिए संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी स्वयं सक्षम पदाधिकारी है।
- प्रत्येक परिस्थिति में मद्दवार व्यय आवंटित राशि के अधीन रखी जाय। इसकी पूर्ण जिम्मेवारी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की होगी।



